कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2017/FCA/PCCF/CCFEDS-I Dated 2.4.2019

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOUCE DEPARMENT Division III, BARAN के द्वारा SUBMERGANCE OF HATHIADEH MEDIUM IRRIGATION PROJECT कार्य हेतु बांरा जिले/वन मंडल सिरोही के ग्राम वामनदेह, गोरधनपुरा, करवरीखुर्द, करवरी कलॉ ग्रामों की कुल 286.5 हेक्टयर वन भूमि के अनारक्षण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/Irrig/27263/2016 दिनांक 21.7.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में पार्ट I, II एवं III की पूर्ती के उपरांत प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी निम्नानुसार है

1. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 D–(i) में डेम की उॅचाई की औचित्यता सिद्व करने हेतु डेम उचाई को 1 – 1 मीटर (थ्री डी मॉडल में) कम करते हुए प्रभावित वन क्षेत्र/सी0सी0ए0/पानी लेबल की गणना संलग्न की गई है किन्तु उसमें डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (14.9963 एवं 271.4737 है0) अंकित किया गया है जबकि ऑनलाईन प्रस्ताव में डेम लाईन एवं डूब क्षेत्र (9.521 एवं 276.949 है0) है उक्तानुसार इसमें संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इसमें इसके नक्शो पर अंकन कर संलग्न नही किया गया है जो प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 F में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Approved Rehabilitation and Resettlement Plan संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 G में यूजर ऐजेन्सी द्वारा Cost benefit Analysis में दो प्रकार की एन0पी0वी0 की दरे सम्मिलित की गई है। इस हेतु संशोधित Cost benefit Analysis संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा तीन पेच में गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया गया है किन्तु ऑनलाईन संलग्न किये गये खसरावार विवरण में जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित की गई भूमि का मिलान नही हो रहा है। जिला कलेक्टर द्वारा आरक्षित की गई भूमि के अनुसार segment wise kml file संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 M में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अनुमोदित CAT Plan संलग्न नही किया गया है।
6. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में छत्र घनत्व अंकित नही किया गया है।
7. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में वृक्षो की संख्या 8690 अंकित किया गया है जबकि हार्ड प्रति में संलग्न दस्तावेजो में कुल 11586 वृक्ष आना अंकित है। दोनो सूचनाओं में समानता रखी जानी प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त एफ0आर0एल0 2 में सूचना शुन्य भरी गई है अपेक्षित सूचना भरा जाना प्रस्तावित है संशोधित पार्ट II की प्रति संलग्न की जानी प्रसताावित है।
8. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 6 में प्रस्ताव से भूमि क्षरण Less अंकित किया गया है जिसे रोके जाने के कोई उपाय प्रस्तावित नही किये गये है।
9. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 8.1 में कोई वन्यजीव की उपस्थिति नही होना दर्शाया गया है 286.47 है0 के प्रस्ताव में कोई वन्यजीव नही पाया जाना विरोधाभासी है अतः सही स्थिति का अंकन किया जाना प्रस्तावित है।

10. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में विधिक स्थिति स्पष्ट नही की गई है।
11. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना अपूर्ण है। इसमें तीनो पेचस की पृथक पृथक क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में वर्तमान श्रमिक दरों (213/— प्रति दिवस) पर बनाया जाकर ऑनलाईन भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
12. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा एन0पी0वी0 की गणना नही की गई है।
13. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपूर्ण है। इसमें तीनो पेचस का पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में बनाया जाकर ऑनलाईन भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
14. उप वन संरक्षक बांरा द्वारा वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नही की गई

अतः उपरोक्त सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

2/4/2019

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR